न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/34

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

सुनीता पुत्री स्व0 रामनारायण उर्फ लल्लू उम्र 24 वर्ष जाति बैरवा, नि0 प्रहलादपुरा, थाना व तह0 लालसोट जिला दौसा हालवासी ग्राम बिचपुरी थाना बामनवास तह0 बामनवास जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. रेवड पुत्र स्व0 प्रभू जाति बैरवा
2. बाबू पुत्र स्व0 प्रभू जाति बैरवा
3. विनोद पुत्र स्व0 प्रभू जाति बैरवा
4. रामजीलाल पुत्र स्व0 प्रभू जाति बैरवा
5. ग्राम पंचायत मिर्जापुरा जरिये सरपंच पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा
6. तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से : अधिवक्ता श्री वैभव गुरावा
02. रेस्पोडेन्ट की ओर से : अधिवक्ता श्री बीएम गौड

निर्णय दिनांकः 15.10.24

राजस्व प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट 1956 विरूद्ध नामांतकरण संख्या 204 ग्राम प्रहलादपुरा तह0 लालसोट

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की ओर से एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामांतकरण संख्या 204 ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का मिर्जापुरा, तह0 लालसोट जो राजस्व कैम्प में दिनांक 20.12.2004 को तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत किया गया, इस आशय की पेश की अपीलाण्ट के दादाजी स्व0 हरफूल के तीन पुत्र क्रमशः कानाराम, प्रभू (रेस्पोडेन्ट 1 लगा0 4 के पिता) एवं स्वयं अपीलाण्ट के पिता स्व0 श्री रामनारायण उर्फ लल्लू थे। अपीलाण्ट के पिता की स्वयं की खातेदारी की पैतृतक कृषि भूमि जो कि वर्तमान में आराजी खसरा नं0 10 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 11 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, ख0नं0 12 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 11 बीघा वाकै ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का मिर्जापुरा तह0 लालसोट में स्थित है। अपीलाण्ट का कहना है कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 16.07.1994 ग्राम प्रहलादपुरा तह0 लालसोट में हुई

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

था तीन माह बाद दिनांक 05.10.1994 को अपीलाण्ट का जन्म ग्राम प्रहलादपुरा तह0 लालसोट में हुआ। अपीलाण्ट को 06 माह की उम्र में उसकी माता अपीलाण्ट के मामा [redacted]रजीलाल पुत्र औंकार के पास बिचपुरी तह0 बामनवास जिला सवाई माधोपुर ले गई। तब से दिन तक अपीलाण्ट के मामा ने ही अपीलाण्ट व उसकी मॉ का भरण पोषण किया है व अपीलाण्ट के मामा के यहां रहने नाजायज रूप से फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट 1 लगा0 4 ने सरपंच से फर्जी सजरा बनवाकर अपीलाण्ट के पिता को ना औलाद फौत बताते हुए अपीलाण्ट के पिता की पैतृक आराजी भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट 1 लगा0 4 ने अपने स्वयं के नाम खुलवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट को इस बात की जानकारी थी की अपीलाण्ट के पिता नाऔलाद फौत नही हुए है एवं अपीलाण्ट के रूप में उनकी जायन्दा पुत्री मौजूद है जो कि पिता के द्वारा छोडी गई चल, अचल सम्पत्ति की एक मात्र उत्तराधिकारिणी है।

अपीलाण्ट्स ने अपील के समर्थन में आधार कथन किए है कि न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही रेस्पोडेन्टस द्वारा न्यायालय तहसीलदार लालसोट के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौका ना तो स्वयं देखा गया ना ही किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा ही देखा गया जिससे वस्तुस्थिति का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को नही हो सका और ना ही रियल कन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज तय की जा सकी। रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट को मुगालते में रख कर मनगढंत तथ्यों के आधार पर उक्त वादग्रस्त नामांतकरण खुलवाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने अपने विवेक का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के मूलभूत सिद्धांतो व वास्तविक बिन्दुओं को दरकिनार कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद कानून मय शपथ पत्र प्रथक से प्रस्तुत कर उक्त आधारो पर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.2004 ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का मिर्जापुरा, तह0 लालसोट को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.2004 ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का मिर्जापुरा, तह0 लालसोट को निरस्त करने का निवेदन कर कहा कि अपीलांट के हिस्से की जमीन को बिना वारिस बताकर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा सरपंच के झूठे सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलांट को सुने बिना तथा बिना जांच किए अपीलांट के पिता के हिस्से की भूमि का अपीलांट की बजाय रेस्पोडेन्ट के नाम नामांतकरण खोल दिया जबकि रामनारायण उर्फ लल्लू की एकमात्र वारिस अपीलाण्ट है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट के ग्राम प्रहलादपुरा के पते के मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने ने दौराने बहस कहा कि अपीलांट ग्राम प्रहलादपुरा में नही रहकर ग्राम बिचपुरी थाना बामनवास में रहती है तथा अपीलांट द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलांट रामनारायण की पुत्री है व अपीलांट का कब्जा भी उक्त आराजी वादग्रस्त पर नही है। इस प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील मियाद बाहर होने एवं अन्य आधारो पर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने योग्य अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हम अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है। अतः अपीलाण्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.2004 वाकै ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

नर्जापुरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जाती है कि समुचित सुनवाई की जाकर दोनो पक्षो को साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधिक वारिसान की जांच कर विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण की कार्यवाही

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/7/24को उभय पक्ष की मौजूदगी में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)